

हरियाणा में वनों का अवरूपण: एक गंभीर समस्या

बीज शब्द :

वनक्षेत्र, संसाधन, पारिस्थितिक संतुलन, वनावरण और वानिकी

जनसंख्या का तीव्रता के साथ बढ़ना, नगरीकरण और औद्योगिकीकरण की अंधाधुंध दौड़ ने वन संसाधन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। जो वर्तमान समय में एक गंभीर चिंता का विषय हैं। दिन-प्रतिदिन वनों का घटता हुआ स्तर वातावरण में जलवायु का असमान्य होना, पारिस्थितिक असंतुलन, वन जैव विविधता को खतरा, बाढ़ तथा मृदा अपरदन जैसे घटनाओं को निमंत्रण दे रहा है। आदिकाल से मानव प्रकृति द्वारा प्रदत्त इस संसाधन का लाभ उठाता आया है। वन संसाधन शुद्ध वायु का एक मात्र स्रोत हैं जो मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके साथ कार्बन डाई ऑक्साइड का अवशोषण भी करता है। फिर भी मानव इस संसाधन पर ध्यान नहीं दे रहा है। हरियाणा में सन् 2019-20 में वन के अधीन क्षेत्र 34 हजार हेक्टेयर हैं जो भौगोलिक तथा पारिस्थितिक रूप से दयनीय स्थिति रखता है। हरियाणा वन नीति 2006 में वर्ष 2010 तक 10% भूभाग पर वनावरण के लक्ष्य को प्राप्त करना था। परन्तु यह लक्ष्य सन् 2021 तक भी पूरा नहीं हो पाया है। समय के साथ वन क्षेत्र बढ़ने के स्थान पर कम होते जा रहे हैं। जो भविष्य में मानव के लिए एक चुनौतीपूर्ण विषय है।

सरिता देवी, सहायक प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय, हिसार, हरियाणा-125001

नीरज, सहायक प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय, हिसार, हरियाणा-125001

राहुल कुमार मीणा, तकनीकी सहायक, आईसीएआर-एनडीआरआई-करनाल, हरियाणा-132001

हरियाणा में वनों का अवरूपण: एक गंभीर समस्या

प्रस्तावना

प्रारम्भ में मानव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र तथा आवास प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों से ही पूरी करता था क्योंकि उस समय प्रौद्योगिकी तकनीकी का अभाव था। आदिकाल से ही मानव प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों की पूजा करता रहा तथा संसाधनों के अनुरूप ही अपने जीवन का निर्वाह करता आया है। समय के साथ-साथ मानव ने तकनीकी ज्ञान की प्राप्ति की व संसाधनों का दोहन अपनी बढ़ती इच्छाओं के लिए करना शुरू कर दिया। अपने भरण पोषण, आवासीय भूमि, शहरीकरण तथा आर्थिक अवसररचना के लिए संसाधनों पर दबाव डालना शुरू कर दिया विशेषतः वन संसाधन पर। वन प्रकृति द्वारा प्रदत्त महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधनों में से एक है जो बिना किसी मानव हस्तक्षेप उगते तथा बढ़ते हैं। किसी भी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति उस स्थान के धरातल, मिट्टी तथा जलवायु पर निर्भर करती है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कारक वहां की जलवायु है।

वन मानव जाति के लिए बहुमूल्य उपहार हैं जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से मानव की मदद करते रहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जैसे इमारती लकड़ी, औषधियां तथा विभिन्न प्रकार के कच्चे माल को प्रदान करते हैं तथा अप्रत्यक्ष रूप से आसपास के क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित, प्रदूषण को कम करना, कार्बन को अवशोषित करना, मृदा अपरदन को रोकना और जैव-विविधता को बनाए रखने में मदद करते हैं। भारत में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में लगभग 713789 वर्ग किलोमीटर भूमि पर वन उगे हुए हैं। जो भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 21.71 प्रतिशत भाग है। वनों की यह स्थिति भौगोलिक दृष्टि से पर्याप्त नहीं है क्योंकि पारिस्थितिक संतुलन के लिए कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% भू भाग पर वन होने आवश्यक है।

उद्देश्य- प्रस्तुत शोध पत्र के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं:-

1. हरियाणा में जिलेवार वन स्थिति का अध्ययन करना।
2. हरियाणा में वर्तमान उपयोगिता के आधार पर बदलते भू उपयोग का अध्ययन करना।

आंकड़ा स्रोत-

प्रस्तुत शोध पत्र में वर्ष 1966-67 से 2020-2011 के वन तथा भू उपयोग संबंधी आंकड़े हरियाणा का सांख्यिकी सार 2020-21, आर्थिक तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा, भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2019 से 2021 तथा भारत वन स्थिति रिपोर्ट

2021 के द्वितीय आंकड़ों पर आधारित हैं।

वनों के लाभ

आर्थिक महत्व/उत्पाद का प्रमुख स्रोत- वनों से हमें लकड़ी, भोजन, पशु चारा तथा वन्य उपजों पर आधारित उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। वन क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए वन प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया बहुमूल्य उपहार है जिसका प्रयोग वे अपने जीवन निर्वाह के लिए दीर्घकाल से करते आए हैं।

पारिस्थितिक महत्व- वन जैव विविधता संरक्षण तथा प्राकृतिक आपदा जैसे - बाढ़ तथा मृदा अपरदन को रोकने, मिट्टी के उर्वरता को बढ़ाने तथा जलवायु के संतुलन में मदद करता है।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व - प्राचीन काल से मानव जनजाति का विकास तथा निवास वनों में रहा है तथा वर्तमान समय में भी बहुत सी जनजाति वन क्षेत्रों में निवास करती है जहां पर उनका सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास वनों पर आधारित है।

हरियाणा में वन के अधीन क्षेत्र (1966-67 से 2019-20) - भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 में वन तथा वनाच्छादित के अंतर्गत देश के पहाड़ी क्षेत्रों में दो तिहाई भौगोलिक क्षेत्र का तथा मैदानी क्षेत्र में 20 % भौगोलिक क्षेत्र को प्राप्त करने का लक्ष्य की परिकल्पना की गई। किसी क्षेत्र के पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए अनुकूल स्थिति को प्राप्त करना बहुत आवश्यक है परंतु हरियाणा की स्थिति इस दृष्टि से संतोषजनक नहीं है। हरियाणा में सन् 1966-67 में 91 हजार हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र थे जो सन् 2019-20 में वन के अधीन क्षेत्र कम होकर 34 हजार हेक्टेयर रह गए।

वन संसाधनों के कम होने के कारण

बढ़ती जनसंख्या- जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या 25353081 है जो कुल जनसंख्या का 2.09% है। जबकि हरियाणा का क्षेत्रफल 44212 वर्ग किलोमीटर है जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.34% है।

कृषि क्षेत्र में वृद्धि- कृषि क्षेत्र में वृद्धि-बढ़ती हुई जनसंख्या कि खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी की गई। हरियाणा में कृषि क्षेत्र सन् 1966-67 में 4599 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 2019-20 में 6617 हजार हेक्टेयर हो गया।

परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि का बढ़ना- इस

भूमि के अंतर्गत स्थायी चारागाह, विविध वृक्ष, वृक्ष फसल, उपवन के अधीन भूमि तथा कृषि योग्य बंजर भूमि को शामिल किया जाता है। सन् 1966-67 में इस भूमि का क्षेत्रफल 137 हजार हेक्टेयर था जो सन् 2019-20 में बढ़कर 254 हजार हेक्टेयर हो गया।

वनाग्नि-प्राकृतिक कारणों तथा मानव गतिविधियों से भी हो सकती है जो क्षेत्र के पारिस्थितिक तथा जैव विविधता को प्रभावित करती हैं। हरियाणा का 73.72% वनावरण क्षेत्र कम वनाग्नि, 18.08% वनावरण क्षेत्र मध्यम वनाग्नि, 5.87% वनावरण क्षेत्र अधिक वनाग्नि तथा 2.33% वनावरण क्षेत्र अत्यधिक वनाग्नि प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या, नगरीकरण और औद्योगिक विकास से भूमि संसाधन पर दबाव बढ़ता जा रहा है जिससे समय के साथ भूमि की उपयोगिता में भी परिवर्तन हो रहे हैं।

हरियाणा में कुल वनावरण क्षेत्र (2021)

श्रेणी	क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर)
अत्यंत सघन वन	28
सामान्य सघन वन	445
खुले वन	1130
झाड़ी	159
कुल वनावरण	1603

वनावरण- इसके अंतर्गत एक हेक्टेयर या एक हेक्टेयर से अधिक भूमि को शामिल किया जाता है। जो 10 प्रतिशत से अधिक वृक्ष छत्र या शिखर से आच्छादित हों।

अत्यंत सघन वन-इसमें 70 प्रतिशत या 70 प्रतिशत से अधिक वितान घनत्व भूमि को शामिल किया जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत 28 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आता है।

सामान्य सघन वन- इसमें 40 प्रतिशत से 70 प्रतिशत वाली वितान घनत्व वाली भूमि को शामिल किया जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत 445 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आता है।

खुले वन- इसमें 10 प्रतिशत से 40 प्रतिशत वाली वितान घनत्व वाली भूमि को शामिल किया जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत 1130 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आता है।

झाड़ी- इसमें 10 प्रतिशत से कम वितान घनत्व वाली भूमि को शामिल किया जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत 159 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आता है। इसे वनावरण क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता। जिला स्तर पर वनों के अधीन क्षेत्र तथा प्रतिशत(2020-21)

जिला वनों के अधीन क्षेत्र(वर्ग किलोमीटर)कुल भौगोलिक

क्षेत्र(वर्ग किलोमीटर)कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन क्षेत्र का प्रतिशत

अंबाला	53	1574	3.37
भिवानी	65	3352	1.94
चरखी दादरी	30	1426	2.10
फरीदाबाद	70	741	9.45
फतेहाबाद	56	2538	2.21
गुरुग्राम	87	1258	6.92
हिसार	63	3983	1.58
झज्जर	40	1834	2.18
जींद	69	2702	2.55
कैथल	72	2317	3.11
करनाल	77	2520	3.06
कुरुक्षेत्र	45	1530	2.94
महेंद्रगढ़	57	1899	3.00
नूह	79	1507	5.24
पलवल	29	1359	2.13
पंचकुला	382	898	42.54
पानीपत	44	1268	3.47
रेवाड़ी	50	1594	3.14
रोहतक	46	1745	2.64
सिरसा	49	4277	1.15
सोनीपत	94	2122	4.43
यमुनानगर	228	1768	12.90

हरियाणा में उपोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती तथा उपोष्ण कटिबंधीय कांटेदार प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। पंचकुला एकमात्र जिला जिसने राष्ट्रीय वन नीति 1988 के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। हरियाणा में यमुनानगर को छोड़कर अन्य सभी जिलों में अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10% से कम भाग पर वनों का विस्तार है जोकि पारिस्थितिक संतुलन के लिए एक चिंता का विषय है।

कुल भौगोलिक क्षेत्र का 5% वन क्षेत्र वाले जिले-अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत जिले इस वर्ग में आते हैं। इस वर्ग में आने वाले सभी जिले वन संपदा में दयनीय स्थिति रखते हैं।

कुल भौगोलिक क्षेत्र का 5% से 10% वन क्षेत्र वाले जिले-इसके अंतर्गत फरीदाबाद, गुरुग्राम और नूह आते हैं।

कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10% से अधिक वन क्षेत्र वाले जिले-इस

वर्ग में केवल 2 जिले यमुनानगर तथा पंचकुला आते हैं। हरियाणा के पंचकुला जिले को छोड़कर सभी जिलों में वन क्षेत्रों में वृद्धि तथा उनके दीर्घकालीन नियोजन एवं प्रबंधन, सामाजिक वानिकी जैसे कार्यक्रम को लागू करना अति आवश्यक हैं।

2006 हरियाणावननीति 2006 तथा सुझाव-

हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। इसी कारण हरियाणा वन नीति 2006 में वर्ष 2010 तक 10% भूभाग पर वनावरण के लक्ष्य को प्राप्त करना था ताकि चरणबद्ध तरीके से 20% के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। परंतु वर्तमान समय तक यह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया इसलिए निम्नलिखित वन संबंधी कार्यक्रमों द्वारा वनों की स्थिति में सुधार किया जा सकता है।

-सड़कों, रेलवे लाइन, नहरों, नदियों तथा अन्य अनुपयोगी भूमि पर वृक्षारोपण करके वनों की स्थिति में सुधार करना।

-कृषि वानिकी तथा फार्म वानिकी को प्रोत्साहन देना। कृषि वानिकी में पेड़ और फसल एक साथ लगाए जाते हैं ताकि किसानों को पर्याप्त आय तथा लकड़ी आधारित उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध हो सके। फार्म वानिकी में वन विभाग छोटे तथा मध्यम किसानों को व्यापारिक महत्व के पेड़ निशुल्क उपलब्ध कराते हैं ताकि किसान खाली भूमि पर उन पेड़ों को लगा सके। -वनारोपण तथा वनों के सतत प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करना ताकि उपलब्ध संसाधनों को स्थानीय समुदाय प्रयोग कर सकें।

-औषधीय जातियों को लुप्त होने से बचाना। शिवालिक तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में औषधि पौधे लुप्त होने की कगार पर है। उनको सुरक्षित प्रदान करना।

-शिवालिक प्राकृतिक वनों को सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। तथा उनका समय-समय पर सर्वेक्षण तथा सीमांकन करना भी आवश्यक है।

-वनों के विकास, प्रबंध तथा लाभ की साझेदारी में ग्राम समुदाय के लोगों को शामिल करना सुनिश्चित हो।

-नमक प्रभावित, जलभराव वाला क्षेत्र तथा अन्य बंजर क्षेत्रों को पर वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम चलाना।

-वन क्षेत्रों में पशुचारण को नियंत्रित करना तथा जिस क्षेत्र में वृक्षारोपण किया। उस जगह पशुचारण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए।

-वनारोपण तथा वन महोत्सव कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना तथा वन संरक्षण नीतियों को सख्ती से लागू करना ताकि अनाधिकृत वन कटाई को रोका जा सके।

संदर्भ सूची

Haryana Forest Policy & 2006 Forest Department] Government of Haryana-

Indian State of Forest Report 2019-

Indian State of Forest Report 2021 Ministry of Environment Forest and Climate Change] Government of India-

Statistical Abstract of Haryana 2020&21 Department of Economic and Statistical Analysis Government of Haryana 2020-Publication no 1285-

भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021

आंकड़ा स्रोत-

प्रस्तुत शोध पत्र में वर्ष 1966-67 से 2020-2011 के वन तथा भू उपयोग संबंधी आंकड़े हरियाणा का सांख्यिकी सार 2020-21, आर्थिक तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा, भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2019 से 2021 तथा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के द्वितीय आंकड़ों पर आधारित हैं।

हरियाणा में कुल वनावरण क्षेत्र (2021)

श्रेणी क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर)

अत्यंत सघन वन 28

सामान्य सघन वन 445

खुले वन 1130

झाड़ी 159

कुल वनावरण 1603

जिला स्तर पर वनों के अधीन क्षेत्र तथा प्रतिशत (2020-21)

जिला वनों के अधीन क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) कुल भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर) कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन क्षेत्र का प्रतिशत

अंबाला	53	1574	3.37
भिवानी	65	3352	1.94
चरखी दादरी	30	1426	2.10
फरीदाबाद	70	741	9.45
फतेहाबाद	56	2538	2.21
गुरुग्राम	87	1258	6.92
हिसार	63	3983	1.58
झज्जर	40	1834	2.18
जींद	69	2702	2.55
कैथल	72	2317	3.11
करनाल	77	2520	3.06
कुरुक्षेत्र	45	1530	2.94
महेंद्रगढ़	57	1899	3.00
नूह	79	1507	5.24
पलवल	29	1359	2.13
पंचकुला	382	898	42.54
पानीपत	44	1268	3.47
रेवाड़ी	50	1594	3.14
रोहतक	46	1745	2.64
सिरसा	49	4277	1.15
सोनीपत	94	2122	4.43
यमुनानगर	228	1768	12.90

